न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2024 (उदयपुर डिक्री)

गणेश ब्राहमण आत्मज श्री शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी ग्राम नवानियॉ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. शंकरलाल ब्राहमण आत्मज श्री किशनलाल जी ब्राहमण, निवासी ग्राम नवानियॉ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती राजूबाई ब्राहमण आत्मजा शंकरलाल जी पत्नी जीवनजी ब्राहमण, निवासी ग्राम नवानियॉ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 19.02.2018 प्र.सं. 126/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस):– 1. श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. सं. 3

———::———

निर्णय दिनांक 15–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नवानियॉ, तहसील वल्लभनगर में आराजी नंबर 2956 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी नंबर 2957 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल की पुत्री है। विवादित आराजियात मौरूसी होकर उक्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा होकर वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उसको आबादान किया है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं। अतः विवादित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 औपचारिक पक्षकार होने से उनकी ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहा।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की स्वीकारोक्ति के आधार पर दिनांक 19–02–2018 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–01–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अधिवक्ता से प्राप्त नहीं हो सकी। इस बीच कोरोनाकाल में वादी के अधिवक्ता का देहावसान हो जाने से वादी उक्त निर्णय व डिक्री से अनभिज्ञ रहा। वादी अचानक दिनांक 08–12–2023 को आया तो वकील साहब के देहावसान की जानकारी प्राप्त हुई। तब अपीलान्ट ने अन्य वकील से सम्पर्क कर उक्त निर्णय व डिक्री की नकल निकलवाई जो उसे दिनांक 09–12–2023 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19–02–2018 की अपील की समयावधि 60 दिवस है। अर्थात दिनांक 19–04–201[illegible] उक्त अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 09–01–2024 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की गयी है। अर्थात उक्त अपील करीब 5 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में दर्शायें हैं वह इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन कराने हेतु न तो कोई उचित कारण प्रतीत होता है, न ही उसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है। जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि उक्त निर्णय व डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो शर्त लगायी गयी है कि "**किन्तु वादी अपने हिस्से की आराजियात को पिता के जीवनकाल तक विक्रय, रहन, बेह, बक्षीस आदि तरीकों से हस्तान्तरित करने का अधिकारी नहीं होगा**" हटाये जाने योग्य है। जब अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा मानते हुए उसे खातेदार घोषित कर दिया तो फिर इस प्रकार की शर्त लगाये जाने का क्या औचित्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–02–2018 में लगायी गयी उक्त शर्त हटायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 एवं 2050 से 2053 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की स्वीकारोक्ति के आधार पर विवादित आराजियात को मौरूसी मानते हुए इस शर्त के साथ वादी/अपीलान्ट को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया कि "**वादी अपने हिस्से की आराजियात को पिता के जीवनकाल तक विक्रय, रहन, बेह, बक्षीस आदि तरीकों से हस्तान्तरित करने का अधिकारी नहीं होगा।**"

तमाम न्यायिक नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्री को अपने पिता के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद लाने का अधिकार ही नहीं है। [illegible] के जीवनकाल में कोई पुत्र स्वयं के हिस्से में आने [illegible] कि पिता उसे खुर्द–बुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested

न करे, तो इस हेतु पृथक से, स्वयं के हिस्से में आने वाली भूमि के संबंध में संबंधित न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकता है, जिसमें गुणावगुण के आधार पर पिता को पुत्र के हक में आने वाली भूमि को बेचान नहीं करने हेतु निषेधाज्ञा दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त शर्त के साथ अपीलान्ट/वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है तथा अपीलान्ट इतने पर भी संतुष्ट नहीं है तथा उक्त शर्त को हटवाना चाहता है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलान्ट/वादी की मंशा साफ नहीं है तथा वह विवादित आराजियात को पिता के जीवनकाल में ही विक्रय, रहन, बेह, बक्षीस व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करना चाहता है, जबकि पिता के जीवनकाल में पुत्र/वारिसान को खातेदारी नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादी को जो 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, वह भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–02–2018 भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 15–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰ ....

गणेश आत्मज शंकरलालजी ब्राहमण निवासी ग्राम नवानियॉ, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम शंकरलाल आत्मज किशनलालजी ब्राहमण निवासी ग्राम नवानियॉ, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......04/2024...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....वल्लभनगर........ मुकाम................मुवर्खे.............19..............माह..............02............2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........15....माह........10....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी...श्री विजय कुमार ओस्तावल...मिनजानिब अपीलान्ट व......श्री कमलेश चौहान

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–02–2018 भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......15.......माह.......10..........2024 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested